

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 12(7)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 16.05.2022

-: आदेश :-

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में Institute of Cardio Vascular Sciences के निर्माण हेतु उक्त परिसर में आवासीय क्वार्टर में निवासरत निम्नांकित आवासियों को पूर्व आवंटित आवास के स्थान पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान कर नियमानुसार किराये पर निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र स	कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1	श्री बलदेव सिंह, नर्स ग्रेड-1 सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2027	ए-106, जवाहर नगर
2	श्री प्रकाश चन्द्र सैन, नर्स ग्रेड-1 सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.03.2030	ए-11, जवाहर नगर
3	श्रीमती विजय लक्ष्मी, नर्स ग्रेड-1 सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2041	ए-12, जवाहर नगर
4	श्री प्रमोद बिजारणिया नर्स ग्रेड II, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2043	ए-13, जवाहर नगर
5	श्री शिव चरण बैरवा, लैब टेक्नीशियन, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2023	जीएडी/5/टी-1/24, विद्याधर नगर
6	श्री शुभम सैन/राजेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2058	जीएडी/5/टी-1/110, विद्याधर नगर
7	श्री अभिषेक मैथ्यू कनिष्ठ सहायक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.11.2054	जीएडी/5/टी-1/107, विद्याधर नगर
8	श्री शंकर सिंह/जोरोवर सिंह कनिष्ठ सहायक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.09.2041	जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर
9	श्री महेन्द्र सिंह/नाथू सिंह, कनिष्ठ सहायक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.05.2035	जीएडी/5/टी-1/120, विद्याधर नगर
10	श्री घनश्याम सिंह, हैल्पर, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.2034	ए-143, जवाहर नगर
11	श्री बच्चे सिंह/ खुशाल सिंह माली कम भिश्ती, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2026	जीएडी/5/टी-1/39, विद्याधर नगर
12	श्री सुरेश चन्द्र वैष्णव, वाहन चालक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2027	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर
13	श्री टीला राम जमादार, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.04.2024	जीएडी/5/टी-1/125, विद्याधर नगर
14	श्री मदन सिंह वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2022	जीएडी/5/टी-1/146, विद्याधर नगर
15	श्री मोहन सिंह रावत/स्वरूप सिंह, वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.09.2027	जीएडी/5/टी-1/26, विद्याधर नगर
16	श्री मनोज कुमार/सुरेश चन्द्र, वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.02.2039	जीएडी/5/टी-1/47, विद्याधर नगर
17	श्री जय सिंह/निहाल सिंह, वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.03.2024	जीएडी/5/टी-1/51, विद्याधर नगर

18	श्री सीता मोहन/ चुन्नी लाल, वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.11.2026	जीएडी/5/टी-1/48, विद्याधर नगर
19	श्री गिरधारी सिंह, वार्ड बॉय, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2037	जीएडी/5/टी-1/153, विद्याधर नगर
20	श्री मोहम्मद लतीफ/मोहम्मद हनीफ, वार्ड बॉय सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.08.2037	जीएडी/5/टी-1/02, विद्याधर नगर

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


६०

(मन मोहन गौड़)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- सचिव(जी.जी) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेंच, जयपुर।
- संबन्धित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव 16/05/22